दिनांक 10.11.2024
प्रेस विज्ञप्ति 13/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पीपीएस (रिटायर्ड) आफिसर्स वेलफेयर एसोसिएशन, उ0प्र0 का वार्षिक अधिवेशन

आज दिनॉकः 10.11.2024 को उ0प्र0 पुलिस रेडियो मुख्यालय प्रशिक्षण केन्द्र महानगर, लखनऊ की सभागार में पीपीएस (रिटायर्ड) आफिसर्स वेलफेयर एसोसिएशन, उ0प्र0 के वार्षिक अधिवेशन में **मुख्य अतिथि पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, श्री प्रशान्त कुमार** का स्वागत एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री गौतेन्द्र पाल सिंह द्वारा किया गया।

श्री प्रशान्त कुमार पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 एवं मा0 न्यायामूर्ति (सेवानिवृत्त) श्री कमलेश्वर नाथ द्वारा दीप प्रज्जवलित कर अधिवेशन का शुभारम्भ किया गया तथा 90 वर्ष से अधिक उम्र के अति वरिष्ठ व 80 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ सदस्यों को मोमेंटो, अंगवस्त्र व माल्यापर्ण कर सम्मानित किया गया तथा मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट महानुभावों व उत्कृष्ट कार्य करने वाले पदाधिकारियों/सदस्यों को प्रदेश संयोजक, अध्यक्ष व महासचिव आदि द्वारा भी सम्मानित किया गया।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 व मंच पर उपस्थित सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा पीपीएस (रिटायर्ड) आफिसर्स वेलफेयर एसोसिएशन, उ0प्र0 की वार्षिक स्मारिका तथा टेलीफोन दिग्दर्शिका का विमोचन किया गया। अधिवेशन में प्रदेश भर से आये एसोसिएशन के लगभग 200 से अधिक पदाधिकारियों व सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा सेवा निवृत्त पुलिस कार्मिको को उनकी सुविधा के दृष्टिगत आन लाइन शिकायत दर्ज कराने एवं उनके गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु तैयार कराये गये वेब पोर्टल पीपीजीआरएस (पुलिस पेंशनर्स ग्रीवान्स रिर्ड्रेसल सिस्टम) का शुभारम्भ किया गया।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा अपने सम्बोधन में कहा गया कि मुझे यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि पी०पी०एस० (रिटायर्ड) आफिसर्स वेलफेयर एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश अपनी स्थापना के सफलता पूर्वक 16 वर्ष पूर्ण कर रहा है। इस एसोसिएशन का गठन सेवानिवृत्त पी०पी०एस० अधिकारियों के कल्याण, समृद्धि एवं उन्हें नित–नवीन गतिविधियों से जागरूक करने तथा उनके अनुभव का उपयोग समाज सेवा व अन्य उपयोगी कार्य किये जाने के उद्देश्य से किया गया।

सेवानिवृत्त पुलिस कार्मिकों के कल्याणार्थ ऑनलाइन वेब पोर्टल तैयार किया गया है। इस वेब पोर्टल के माध्यम से वह अपनी समस्याओं को ऑनलाइन भेजकर घर बैठे ही उनका समाधान प्राप्त कर सकते है। आप सभी विभाग के लिये पथ प्रदर्शक एवं प्रेरणाश्रोत के रूप में सेवानिवृत्ति के बाद भी अपने सेवाकाल के अनुभवों के आधार पर लगातार उपयोगी व प्रेरणाप्रद मार्गदर्शन प्रदान कर रहें हैं। आप लोगों द्वारा एसोसिएशन के रूप में एवं व्यक्तिगत स्तर पर जो समाज उपयोगी व कल्याणकारी कार्य किये जा रहे हैं, उनका लाभ पुलिस परिवार को मिल रहा है। एसोसिएशन के अधिकारियों द्वारा पूर्व में पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली में निरन्तर सुधार हेतु उल्लेखनीय कार्य किये गये हैं। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि सदैव की तरह सेवानिवृत्त अधिकारीगण अपने अनुभवों से विभाग को मार्गदर्शन एवं सुझाव देते रहेंगे।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा पीपीएस रिटायर्ड आफिसर्स वेलफेयर ऐसोसिएशन उ0प्र0 द्वारा सेवा निवृत्ति अधिकारियों के कल्याण तथा समाज उपयोगी कार्यो के लिए उनकी सराहना की गयी तथा इस अधिवेशन की सफलता हेतु शुभकामनाएं दी गयी।

कार्यक्रम में एसोसिएशन के विगत एक वर्षो में दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि दी गयी ।

उ0प्र0

पी.पी.एस. (रिटायर्ड) आफीसर्स वेलफेयर एसोसिएशन, उ0प्र0
वार्षिक अधिवेशन
10 नवम्बर, 2024

दिनांक 10.11.2024
प्रेस विज्ञप्ति 14/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा पीपीजीआरएस पोर्टल (पुलिस पेंशनर्स ग्रीवान्स रिर्ड्रेसल सिस्टम) का किया शुभारम्भ

श्री प्रशान्त कुमार पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन अपर पुलिस महानिदेशक टेक्निकल के मार्ग दर्शन में पुलिस उप महानिरीक्षक पीएचक्यू द्वारा उ0प्र0 पुलिस पेंनशनर्स की शिकायतो के समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु ''पीपीजीआरएस पोर्टल'' (पुलिस पेंशनर्स ग्रीवान्स रिर्ड्रेसल सिस्टम) तैयार कराया गया, जिसका उद्घाटन आज दिनांक 10.11.2024 को पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा किया गया।

उल्लेखनीय है कि पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा पुलिस पेंशनर्स की सुविधाओं के दृष्टिगत उनकी शिकायतो को आनलाइन दर्ज कराकर उनका गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण कराये जाने हेतु वेब पोर्टल ''पीपीजीआरएस'' (पुलिस पेंशनर्स ग्रीवान्स रिर्ड्रेसल सिस्टम) तैयार कराया गया, जिससे उन्हे अपनी समस्याओं को लेकर इधर उधर भटकना न पड़े। उक्त पोर्टल https://ts.uppolice.gov.in/ppgrs/user/home.aspx में पेंशनर्स अपनी शिकायतों को आनलाइन दर्ज कराकर उसका समाधान प्राप्त कर सकते है।

पीपीजीआरएस पोर्टल की विशेषताएः—पुलिस पेंशनर्स द्वारा अपनी शिकायत को आनलाइन दर्ज कराना, आनलाइन शिकायत की प्रगति देखना, अनुष्मारक भेजना तथा अपना फीड बैक देना आदि सम्मलित है।

होम
शिकायत दर्ज करें
स्थिति देखें
अनुस्मारक भेजें
आपका स्वागत है।
पुलिस पेंशनर्स ग्रीवान्स रिड्रेसल सिस्टम
शिकायत दर्ज करें

पीपीजीआरएस
होम
शिकायत दर्ज करें
स्थिति देखें
अनुस्मारक भेजें
फीडबैक
कार्यालय लॉगिन
आपका स्वागत है।
पुलिस पेंशनर्स ग्रीवान्स रिड्रेसल सिस्टम
शिकायत दर्ज करें
योगी आदित्यनाथ
प्रशान्त कुमार IPS
पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश

दिनांक 10.11.2024
प्रेस विज्ञप्ति 15/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद अमरोहा/थाना गजरौला

- **लूट की घटना का अनावरण**
- **पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 03 लाख 52 हजार रूपये नगद**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) आदि बरामद**

दिनांक 09/10.11.2024 को थाना गजरौला व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कबीरपुर तिराहा के पास चेकिंग के दौरान पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्तों 1–अखिल कुमार 2–मोहित को गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 03 लाख 52 हजार रूपये नगद, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 04.11.2024 को थाना गजरौला क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना गजरौला पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया लूट की घटना से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त अखिल कुमार के विरूद्ध जनपद बुलन्दशहर, अमरोहा व कमिश्नरेट गाजियाबाद के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 11 अभियोग एवं अभियुक्त मोहित के विरूद्ध जनपद बुलन्दशहर व अमरोहा के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, चोरी आदि के अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना गजरौला पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—अखिल कुमार निवासी ग्राम बालका थाना औरंगाबाद जनपद बुलन्दशहर।

2—मोहित निवासी ग्राम पौरारा थाना रहरा जनपद अमरोहा।

<u>बरामदगी</u>

1—लूट के 03 लाख 52 हजार रूपये नगद।

2—02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

<u>कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना सेक्टर—49</u>

- **15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 09.11.2024 को थाना सेक्टर—49 पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्रीन बेल्ट पार्क के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त रितिक को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के विभिन्न थानो में चोरी, धोखाधड़ी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना सेक्टर—49 पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना सेक्टर—49 पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—रितिक निवासी ग्राम बरौला थाना सेक्टर—49 नोएडा कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

<u>बरामदगी</u>

1—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

जनपद आजमगढ़/थाना मुबारकपुर

- **10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त सहित 07 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के माल बिक्री के 41 हजार 700 रूपये नगद**
- **02 अवैध तमंचा मय जीवित कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 10.11.2024 को थाना मुबारकपुर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर गुजरपाल पुल के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त 1–मो0साजिद सहित अभियुक्त 2–मो0 वाकिफ 3–अबुजर उर्फ शब्बू 4–अफरोज 5–मुस्ताक 6–शकील अहमद 7–अलकमा उर्फ जुनैद को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के माल बिक्री के 41 हजार 700 रूपये नगद, 02 अवैध तमंचा मय जीवित कारतूस आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त मो0वाकिफ के विरूद्ध जनपद आजमगढ़, संतकबीरनगर व गोरखपुर के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, चोरी, धोखाधड़ी, गैंगेस्टर एक्ट, सीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 36 अभियोग एवं अभियुक्त मो0साजिद के विरूद्ध जनपद गोण्डा, गोरखपुर के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, डकैती, चोरी, सीएस एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 05 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त मो0साजिद की गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना मुबारकपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मो0 वाकिफ निवासी नियाउज थाना फूलपुर जनपद आजमगढ।

2–मो0 साजिद निवासी नत्थुपुर थाना जीयनपुर आजमगढ।

3–अबुजर उर्फ शब्बू निवासी ग्राम नत्थूपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ।

4–अफरोज निवासी ग्राम नत्थुपुर थाना जीयनपुर आजमगढ।

5–मुस्ताक निवासी नत्थुपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ।

6–शकील अहमद निवासी फरिहा थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ।

7–अलकमा उर्फ जुनैद निवासी पठानटोला थाना कोतवाली जनपद मऊ।

बरामदगी

1–चोरी के माल बिक्री के 41 हजार 700 रूपये नगद।

2–02 अवैध तमंचा मय जीवित कारतूस आदि।

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना शाहपुर

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 53 कुन्तल 45 किलोग्राम सरिया बरामद**

दिनांक 10.11.2024 को थाना शाहपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम तावली ढाबा के पास से 02 अभियुक्तों 1–शेरअली 2–अजमत को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 53 कुन्तल 45 किलोग्राम सरिया बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 29.10.2024 को थाना शाहपुर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना शाहपुर पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे।

इस सम्बन्ध में थाना शाहपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–शेरअली निवासी ग्राम सिरसा थाना दातागंज जनपद बदायूँ।

2–अजमत निवासी ग्राम सिरसा थाना दातागंज जनपद बदायूँ।

बारमदगी

1–चोरी की 53 कुन्तल 45 किलोग्राम सरिया।

जनपद शाहजहाँपुर/थाना तिलहर

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 05 हजार 620 रूपये नगद बरामद**

दिनांक 10.11.2024 को थाना तिलहर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सरयू पुलिया के पास से 01 अभियुक्त सन्नी उर्फ हऊआ उर्फ अऊआ को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से चोरी के 05 हजार 620 रूपये नगद बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 04.11.2024 को थाना तिलहर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना तिलहर पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद शाहजहाँपुर, बरेली के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, आबकारी एक्ट, गुण्डा एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 32 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना तिलहर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—सन्नी उर्फ हऊआ उर्फ अऊआ निवासी मो0अजीजगंज थाना कोतवाली चौक जनपद शाहजहाँपुर।

बरामदगी

1—चोरी के 05 हजार 620 रूपये नगद।

एसटीएफ—महाराष्ट्र के ठाणे पुलिस कस्टडी से फरार अभियुक्त प्रिंस कैलाश विश्वकर्मा पिस्टल तस्कर कमिश्नरेट लखनऊ से गिरफ्तार

दिनांक 09—11—2024 को एसटीएफ, उ0प्र0 द्वारा थाना चितलसर, जनपद ठाणे, महाराष्ट्र पर पंजीकृत मु0अ0स0 916/2024 धारा 262 बी0एन0एस0 में पुलिस कस्टडी से फरार अभियुक्त प्रिंस कैलाश विश्वकर्मा को लखनऊ से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की गयी।

गिरफ्तारी अभियुक्त का विवरणः—

प्रिंस कैलाश विश्वकर्मा निवासी तकरोही, इंदिरा नगर, लखनऊ

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समयः—

टिक टॉक चाय की दुकान, सब्जी मंडी तकरोही, थाना क्षेत्र इंदिरा नगर, लखनऊ, दिनांक 09.11.2024 समय करीब 21.10 बजे।

दिनांक 05—11—2024 को थाना चितलसर मानपाड़ा, जनपद ठाणे सिटी की पुलिस द्वारा अभियुक्त प्रिंस कैलाश विश्वकर्मा निवासी तकरोही, इंदिरा नगर, लखनऊ को दो अदद अवैध पिस्टल के साथ गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध मु0अ0स0 909/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट व धारा 37(1),135 महाराष्ट्र पोलिस एक्ट पंजीकृत कराया गया था एवम् अभियुक्त को अग्रिम पूछताछ एवं अन्य विधिक कार्यवाही हेतु विवेचक पुलिस उप निरीक्षक द्वारा माननीय न्यायालय से दो दिवस की पुलिस कस्टडी रिमांड पर लिया गया था। पी0सी0आर0 के दौरान अभियुक्त प्रिंस कैलाश विश्वकर्मा 05/06 नवंबर की रात्रि थाना चितलसर मानपाड़ा में शौचालय जाते समय फरार हो गया था। जिसके संबंध में अभियुक्त प्रिंस कैलाश विश्वकर्मा के विरुद्ध मु0अ0स0 916/2024 धारा 262 बी0एन0एस0 थाना चितलसर, जनपद ठाणे, महाराष्ट्र पर दिनांक 06—11—2024 को पंजीकृत कराया गया था।

उक्त अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए डी0सी0पी0 जोन 5, ठाणे सिटी द्वारा एसीटीएफ, उ0प्र0 से सहयोग मांगा गया था। जिसके क्रम में एस0टी0एफ0 द्वारा द्वारा पुलिस उपाधीक्षक श्री विमल कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में निरीक्षक ज्ञानेन्द्र कुमार राय के नेतृत्व में उपनिरीक्षक श्री रिजवान, उपनिरीक्षक श्री उमाशंकर, मु0आ0 श्री सुनील राय की टीम द्वारा अभिसूचना संकलित कर दिनांक 09—11—2024 को टिक टॉक चाय की दुकान, सब्जी मंडी तकरोही, थाना क्षेत्र इंदिरा नगर, लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया गया। एसटीएफ की टीम के साथ मुकदमा उपरोक्त के विवेचक उनि श्री पंकज लहाने थाना चितलसर, ठाणे, महाराष्ट्र भी मौजूद थे।

पूछताछ पर अभियुक्त प्रिंस कैलाश विश्वकर्मा ने बताया कि उसके मित्र साजन कुमार उर्फ दीपक पुत्र रघुराज निवासी बहराइच के द्वारा उपलब्ध कराए गये दो अदद पिस्टल को वह साजन उर्फ दीपक के बताए अनुसार डिलवरी देने ट्रेन से महाराष्ट्र गया था, जहां थाना चितलसर मानपाड़ा, ठाणे पुलिस द्वारा उसे पिस्टल सहित दि0 05–11–2024 को गिरफ्तार कर लिया गया था और पी0सी0आर0 के दौरान वह चितलसर थाना से दि0 06–11–2024 की भोर में चकमा देकर फरार हो गया और लखनऊ में आकर जगह बदलकर छिप कर रह रहा था। उसने यह भी बताया कि उसका दोस्त साजन कुमार उर्फ दीपक भी ट्रेन से उसके साथ ही अलग व्यक्ति को अवैध पिस्टल सप्लाई करने महाराष्ट्र गया था, जिसे थाना वी0पी0 रोड , बृहन्मुंबई पुलिस ने दि0 05–11–2024 को ही दो अदद पिस्टल मय कारतूस के गिरफ्तार कर लिया था।

गिरफ्तार अभियुक्त को थाना इंदिरानगर, लखनऊ में दाखिल किया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही महाराष्ट्र पुलिस के उनि पंकज लहाने द्वारा की जा रही है।

एसटीएफ–थाना कोतवाली जनपद प्रयागराज पर पंजीकृत मु0अ0सं0: 84/2022 धारा: 364/302/201/34 भादवि में वांछित रू0 50,000/–का पुरस्कार घोषित कुख्यात अपराधी अंशु गुप्ता जनपद प्रयागराज से गिरफ्तार।

दिनांकः 10–11–2024 को एसटीएफ उत्तर प्रदेश को थाना कोतवाली, जनपद प्रयागराज पर पंजीकृत मु0अ0सं0: 84/2022 धारा: 364/302/201/34 भादवि में वांछित रू0 50,000/– का पुरस्कार घोषित कुख्यात अभियुक्त अंशु गुप्ता को जनपद प्रयागराज से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः–

अंशु गुप्ता पुत्र सदाशिव गुप्ता निवासी 201 मीरगंज (भारती भवन), थाना कोतवाली, कमिष्नरेट प्रयागराज।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समयः–

ललित नगर नई पानी की टंकी रेलवे कालोनी थानाक्षेत्र कोतवाली, कमिष्नरेट प्रयागराज

दिनांकः 10—11—2024, समय 12:30 बजे।

एसटीएफ उ0प्र0 को विगत काफी दिनों से फरार/पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय गिरोह का आपराधिक घटनाएँ कारित करने की सूचनाएँ प्राप्त हो रहीं थीं। इस सम्बन्ध में एसटीएफ की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देश के क्रम में श्री शैलेश प्रताप सिंह, पुलिस उपाधीक्षक, एसटीएफ फील्ड इकाई, प्रयागराज के पर्यवेक्षण में निरीक्षक श्री जय प्रकाश राय, एसटीएफ फील्ड इकाई, प्रयागराज के नेतृत्व में टीम गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

उपनिरीक्षक श्री रणेन्द्र कुमार सिंह, मुख्य आरक्षीगण सन्तोष कुमार, अश्वनी कुमार सिंह, अमित शर्मा, आरक्षी किशन चन्द्र व चालक राम लखन पाल की टीम दि0 10—11—2024 को प्रयागराज में आपराधिक अभिसूचना संकलन में भ्रमणशील थी। इस दौरान मुखबिर के माध्यम से ज्ञात हुआ कि थाना कोतवाली, प्रयागराज से हत्या के अभियोग में वांछित रू0 50,000/—का पुरस्कार घोषित कुख्यात अपराधी अंशु गुप्ता उपरोक्त ललित नगर पानी की टंकी रेलवे कालोनी थानाक्षेत्र कोतवाली, प्रयागराज के पास मौजूद है, जो कहीं बाहर भागने की फिराक में है। इस सूचना पर विश्वास कर मुखबिर के बताये हुए स्थान पर पहुँचकर अभियुक्त उपरोक्त को गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त अंशु गुप्ता उपरोक्त ने पूछताछ में बताया कि मोनू सारस्वत निवासी भारती भवन थाना कोतवाली नगर, नयन वैश्य, सुमित चौरसिया, हम लोग दोस्त हैं। रानीमण्डी थाना अतरसुईयात्र प्रयागराज निवासी आदर्श केसरवानी, मोनू सारस्वत की पत्नी कोमल को परेशान किया करता था। मोनू सारस्वत तथा उसकी पत्नी कोमल के साथ हम लोगों ने मिलकर दि0 01—04—2022 को आदर्श का अपहरण करके उसकी हत्या कर सुहागी पहाड़ी के पास लाश को फेंक दिया था। आदर्श के पिता श्री जितेन्द्र केसरवानी द्वारा घटना के सम्बन्ध में थाना कोतवाली, प्रयागराज में मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। मोनू सारस्वत के गिरफ्तार होने के बाद उसने मेरा व अन्य लोगों का

नाम भी बता दिया था, जिसकी जानकारी होने के बाद से ही मैं गिरफ्तारी से बचने के लिए इधर–उधर छिप कर रह रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त अंशु गुप्ता उपरोक्त को थाना कोतवाली, प्रयागराज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 84/22 धारा 364/302/201/34 भादवि में दाखिल किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही थाना स्थानीय पुलिस द्वारा की जाएगी।

———————